

कार्यालय जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी, बहराइच।

संख्या : 233-34 / आब0सहा0 / दु0व्यवस्थापन / 2020-21 / बहराइच / दिनांक जून 10, 2020
विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 के पत्र संख्या-11592-11666/टास्क फोर्स-2/ई-लाटरी/2019-20 लखनऊ दिनांक जून 08, 2020 के क्रम में द्वितीय चरण की ई-लाटरी के पश्चात् जनपद बहराइच की अवशेष देशी शराब की 20, विदेशी मदिरा की 01, बीयर की 03 फुटकर बिक्री की दुकानों तथा 01 माडलशाप के व्यवस्थापन हेतु दिनांक 12.06.2020 (पूर्वाह्न 11:00 बजे) से दिनांक 17.06.2020 को सायं 05:00 बजे तक ई-लाटरी पोर्टल www.upexciseelottery.gov.in पर ऑनलाइन आमंत्रित किये जाते हैं तथा दिनांक 19.06.2020 के अपरान्ह 01:00 बजे से ई-लाटरी कलेक्ट्रेट सभागार, बहराइच में सम्पन्न की जायेगी। आवेदित देशी शराब दुकान की बेसिक लाइसेंस फीस तथा विदेशी मदिरा, बीयर एवं माडलशाप की लाइसेंस फीस का 1/10वें भाग की धनराशि बैंक ड्रॉफ्ट के रूप में आनलाइन अपलोड कर मूल प्रति कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी में दिनांक 17.06.2020 के सायं 06:00 बजे तक प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

जनपद में मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप की अवशेष दुकानों को ई-लाटरी के माध्यम से प्राप्त करने हेतु इच्छुक एवं अर्ह आवेदक जनपद की दुकानों की सूची, अन्य आवश्यक विवरण एवं शर्तें जनपद की वेबसाइट www.upnicbahaich.in तथा ई-लाटरी पोर्टल www.upexciseelottery.gov.in पर देखी जा सकती है। उक्त दुकानों के संबंध में अधिक जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी बहराइच तथा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

जिला आबकारी अधिकारी
बहराइच।

जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी,
बहराइच।

संख्या : / तददिनांकित।

प्रतिलिपि : सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र को इस निर्देश के साथ कि अपने सम्मानित समाचार पत्रों में सरकारी दर पर कम से कम स्थान पर प्रकाशित कराते हुए देयक के भुगतान हेतु बीजक कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

Recive
Master

Recive
Master

जिला आबकारी अधिकारी,
बहराइच।

10/06/20

समय-सारणी

ई-लाटरी हेतु आवेदन प्रारम्भ	12.06.2020 के पूर्वान्ह 11:00 बजे से
ई-लाटरी हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	17.06.2020 मध्यान्ह 05:00 बजे तक
द्वितीय चरण की ई-लाटरी की तिथि/समय/स्थल	19.06.2020 को अपरान्ह 01:00 बजे से, कलेक्ट्रेट सभागार बहराइच।

वर्ष 2020-21 हेतु मदिरा की फुटकर दुकानों के लाइसेंस फीस आदि का विवरण।

क्र० सं०	शाप आई० डी०	दुकान का नाम व नवीन शाप आई०डी०	प्रकार	प्रोसेसिंग फीस (रु० में)	वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित वार्षिक एम०एल०क्यू० (36%V/V) (ब०ली० में)	वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित वार्षिक बेसिक लाइसेंस फीस/ लाइसेंस फीस (रु० में)	वार्षिक प्रतिभूति धनराशि (रु० में)	धरोहर धनराशि (रु० में)	साल्वेसी धनराशि (रु० में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	20347	काली मिश्र चौराहा (क)	देशी	20000	24624	737352	556503	73735	1050396
2	21046	कारिकोट (क)	देशी	20000	15264	142164	344967	14216	598638
3	21178	सेमरहना (क)	देशी	20000	28764	862884	650067	86288	1227258
4	21413	ताजपुर (क)	देशी	20000	18972	569052	428767	56905	809454
5	21561	दौलतपुर (क)	देशी	20000	4812	140976	108751	14098	204748
6	31360	काली मिश्र चौराहा (ख)	देशी	20000	24624	737352	556503	73735	1050396
7	33610	रायबोज़ा (ख)	देशी	20000	5328	154242	120413	15424	226395
8	33611	माधवरेती (ख)	देशी	20000	43656	1309572	986626	130957	1862638
9	33612	बिछिया (ख)	देशी	20000	9180	274032	207468	27403	391452
10	33613	कैलाशपुरी (ख)	देशी	20000	5076	150678	114718	15068	216309
11	33615	चफरिया (ख)	देशी	20000	6276	186318	141838	18632	267449
12	33616	कारिकोट (ख)	देशी	20000	15264	142164	344967	14216	598638
13	33617	बरखड़िया (ख)	देशी	20000	6000	179784	135600	17978	255964
14	33619	सेमरहना (ख)	देशी	20000	28764	862884	650067	86288	1227258
15	33620	गंगापुर मण्डी (ख)	देशी	20000	10884	146124	245979	14612	434318
16	33621	भवनियापुर (ख)	देशी	20000	5736	171864	129634	17186	244700
17	33622	ताजपुर (ख)	देशी	20000	18972	569052	428767	56905	809454
18	33624	दौलतपुर (ख)	देशी	20000	4812	140976	108751	14098	204748
19	33625	डिडुवा बकैना (ख)	देशी	20000	11988	359370	270929	35937	511443
20	33626	बघईया चौराहा (ख)	देशी	20000	13620	351846	307812	35185	571661
21	31548	हीरासिंह मार्केट बहराइच नं० 2 (ख)	विदेशी	20000	-	1470000	147000	147000	1470000
22	18628	केवानागंज (क)	बीयर	20000	-	715000	71500	71500	715000
23	18666	डिगिहा तिराहा (क)	बीयर	20000	-	485000	48500	48500	485000
24	32410	केवानागंज 18628 (ख)	बीयर	20000	-	715000	71500	71500	715000
25	22862	डिगिहा	माखल शाप	30000	-	6045000	604500	604500	604500

ई-लाटरी हेतु आवेदित दुकान की धरोहर धनराशि की बैंक ड्राफ्ट मूल रूप में आवेदकों द्वारा कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, बहराइच में दिनांक 17.06.2020 सायं 06:00 बजे तक प्रत्येक दशा में प्रस्तुत किये जायेंगे। उसके उपरान्त ही आवेदकों के आवेदन पत्रों का परीक्षणोपरान्त अर्हता सुनिश्चित किया जायेगा। जनपद में ई-लाटरी हेतु मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों से संबंधित अन्य जानकारी एवं विवरण तथा शर्तें जनपद की वेबसाइट www.upniebahraich.in तथा ई-लाटरी पोर्टल www.upexciseelottery.gov.in पर तथा जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय, बहराइच से प्राप्त की जा सकती हैं।

जिला आबकारी अधिकारी,
बहराइच।

10/06/2020